न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

(68)

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 2804–दो/2015 निगरानी – विरूद्व – आदेश दिनांक 11–08–2015 पारित व्दारा – अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 87/2009–10 अपील

श्रीमती प्रेमा पत्नि चेनीराम पुत्री हरदास अहिरवार
ग्राम भवानीपुरा तहसील व जिला दतिया **मध्य प्रदेश** ——आवेदिका

विरूद्व

श्रीमती मक्खन पत्नि घासीराम पुत्री हरदास अहिरवार
ग्राम खिरिया घोघू तहसील व जिला दतिया मध्यप्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 – 2– 2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 87/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका ने अनुविभगीय अधिकारी दतिया के समक्ष अपील कमांक 117/2003–04 प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम खिरिया घोघू तहसील दतिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 453/4 बंदोवस्त के वाद नया सर्वे नंबर 533 रकबा 2–023 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) उसके पिता हरदास अहिरवार के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु उपरांत बसीयतनामे के आधार पर आवेदिका के नाम दर्ज हुई, परन्तु नायब तहसीलदार वृत्त इमलिया ने आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण कमांक

14 अ–6–अ/89–90 में पारित आदेश 24–7–1990 से वादग्रस्त भूमि में से आधी भूमि अनावेदक के नाम कर दी, जिसकी जानकारी उसे सन् 2003 में हुई, तब उसके व्दारा उक्त गलत प्रविष्टि के सुधार का आवेदन तहसील न्यायालय में दिया जो आदेश दिनांक 27–2–04 से निरस्त कर दिया गया। उसके व्दारा अभिभाषक से जानकारी लेने पर एंव अपील करने का ज्ञान होने पर अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी दतिया के समक्ष अपील कमांक 117/2003–04 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण कमांक 117/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–8–2009 से अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदिका ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 87/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को, निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी दतिया के प्रकरण कमांक 117/2003–04 अपील में पृष्ठ 29 पर खसरा पंचशाला वर्ष 2045 से 2048 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके कालम नंबर 3 में भूमिस्वामी के रूप में एंव कैफियत के कालम नंबर 12 निम्नानुसार प्रविष्टि है –

कालम नंबर 3	कालम नंबर 12
प्रेमा पुत्री हरदास जाति अहिरवार नि.गण परासरी भूमिस्वामी भू रा. 16–25	प्र.क्र. 14 अ 6 अ/89–90 के अनुसार श्रीमान नायव तहसीलदार महोदय के आदेश दि. 24–7–90 के अनुसार स.नं.453/4 रकबा 5–00 एकड़ पूर्ण भाग पर प्रेमा व मक्खन पुत्रियां हरदास जाति अहिरवार के नाम समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार।

नायव तहसीलदार व्दारा प्र.क्र. 14 अ 6 अ/89–90 में पारित आदेश दि. 24–7–90 के सम्बन्ध में आवेदिका के अभिभाषक का तर्क है कि इस प्रकरण में आवेदिका को न तो सूचना पत्र दिया

गया है एंव उसके नाम की आधी भूमि कब अनावेदक के नाम कर दी गई, उसे जानकारी नहीं हुई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में यही विवरण दिया गया है । विचार योग्य है कि क्या नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 14 अ 6 अ/89–90 में आवेदिका को व्यक्तिगत सूचना पत्र भेजे गये थे ? अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ 39 पर कलेक्टर जिला दतिया का पत्र दिनांक 19–5–14 संलग्न है जो नायव तहसीलदार वृत्त इमलिया तहसील दतिया को सम्बोधित होकर पत्र में इस प्रकार अंकन है –

संदर्भित पत्र व्दारा प्रकरण कमांक 14 अ 6 अ/89–90 आदेश दिनांक 24–7–90 चाहा गया है। उक्त प्रकरण दायर पंजी एंव संबंधित ग्राम के वस्ते में खोजने पर उपलब्ध नहीं हुआ है। चूँकि प्रकरण की प्रकृति अस्थाई होने से 12 वर्ष के लिये संरक्षित रखा गया था। प्रकरण वर्ष 89–90 का होने से उक्त प्रकरण की संरक्षित अवधि समाप्त हो चुकी है।

मद अ 6 अ राजस्व अभिलेख सॅशोधन के प्रकरण स्थाई स्वरूप के माने जाते हैं जिन्हे चिरकाल तक विनिष्ट नहीं करना चाहिये और जब नायव तहसीलदार का प्र.क. 14 अ 6 अ/89–90 उपलब्ध नहीं है एंव विनष्टीकृत है तब आवेदिका व्दारा नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 24–7–90 की जानकारी न होने वावत् अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिया गया विवरण एंव पुष्टिकरण में दिये गये शपथ पत्र पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

1. **किशोर सिंह विरूद्व राजाराम एंव अन्य 2010 रा0नि0 111 का दृष्टांत है कि अनावेदक को न तो आदेश की सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। आदेश की जानकारी होने से अपील समयावधि मे मानी जावेगी।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा–47 – आदेश की कोई सॅसूचना नहीं दी गई – आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परसीमा की गणना की जावेगी।**
3. **म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 – धारा 44 सहपठित–47 – अपील समयावधि के बिन्दु पर निरस्त – अपीलीय न्यायालय व्दारा अपील स्वीकार – मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोष पर विचार हेतु वापिस किया जावेगा।**

अनुविभागीय अधिकारी दतिया ने प्रकरण कमांक 117/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–8–2009 से आवेदिका की अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त करने में भूल की है

तथा उक्त तथ्यों की अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने अनदेखी करते हुये आदेश दिनांक 11–8–15 पारित किया है , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी दतिया का आदेश दिनांक 7–8–2009 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 11–8–15 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 87/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 एंव अनुविभागीय अधिकारी दतिया व्दारा प्रकरण कमांक 117/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–8–2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी दतिया की ओर हितबद्व पक्षकारों को सुनकर गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु वापिस किया जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर